

EC No. 40 / DoS - 12 / 2023 बाह्य परिपत्र सं. 40 / डॉस- 12 / 2023 06 March 2023

Ref. No. NB. HO. DoS. Pol. / 5952 A / J-1 / 2022-23 स.सं राबैं .प्रका .डॉस .पॉल / 5952 A / जे-1 / 2022-23

अध्यक्ष The Chairman सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक All Regional Rural Banks

महोदयामहोदय/ Madam /Dear Sir

महोदया/महोदय Madam /Dear Sir

नाबार्ड के निरीक्षण दल द्वारा अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण में पाए गए विचलन

नाबार्ड अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों सिहत बैंकों द्वारा अनुपालन का आकलन करता है. बैंकों के आस्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों से प्रावधानन में महत्वपूर्ण विचलन के मामले सामने आए हैं, जिनके कारण प्रकाशित वितीय विवरण बैंक की वितीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर नहीं दर्शाते हैं.

इस संबंध में आप दिनांक 27 फरवरी
 को जारी हमारे बाह्य परिपत्र संख्या
 संदर्भ सं. राबैं. डॉस

Divergence in NPA classification observed by NABARD Inspection Team

NABARD assesses compliance by banks with extant prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) as part of its supervisory process. There have been instances of material divergence in banks' asset classification and provisioning from RBI norms, thereby leading to the published financial statements not depicting a true and fair view of the financial position of the bank.

2. In this connection, we invite a reference to our circular No. 47/DoS-11/2019-20, Ref. No. NB. DoS /Pol /3437 /J-1 /2019-20 dated 27 February 2020

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

Department of Supervision



/नीति /3437 /जे-1 /2019-20 देखें जिनमें हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विचलन के समक्ष प्रावधान करने और संबंधित बैंक के परीक्षकों **सांविधिक** लेखा के साथ निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा पाए गए विचलन को साझा करने के बारे में सूचित किया था ताकि वे यह सत्यापित कर सकें कि एक ही शाखा और अन्य शाखाओं में ऐसे खातों और इसी तरह के अन्य खातों का बैंक की बहियों में उचित रूप से वर्गीकृत किया है और वितीय वर्ष के अंत में उन पर उपयुक्त रूप से प्रावधान किया गया है.

समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कुछ बैंक अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण को कड़ाई से स्निधित नहीं कर रहे हैं; निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित विचलन हेत् पूर्ण प्रावधान नहीं किया गया है और ऋण खाते अगले वितीय वर्ष के अंत तक अनर्जक बने रहते हैं. इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट में विचलन इंगित किए जाने और ऋण खातों का अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक अनर्जक बने रहते के बावजूद, कुछ सांविधिक लेखापरीक्षक अगले वित्तीय वर्ष के अंत में खाताबहियों को अंतिम रूप देते समय आस्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विवार्षिक वित्तीय निरीक्षण 2022 के दौरान इसे गंभीरता से देखा गया है.

wherein RRBs were advised about making provisions against divergence and share the divergence observed by the Inspecting Officers with statutory auditors of the bank concerned to enable them to verify that the classification of such accounts and similar other accounts in the same branch and in other branches of the bank and provisioning thereon is correctly done in the bank's book as at the end of the financial year.

On a review, it has been observed that some banks are still not ensuring the classification of loans and advances prudential strictly as per prescribed by RBI; the divergence pointed out in the inspection reports are not fully-provided for and the loan accounts remain non-performing at the end of next financial year. Further, despite the divergence being pointed out in the IRs and despite the accounts continuing to remain non-performing at the end of next financial year, some Statutory Auditors are not ensuring proper classification of assets while finalising the books of accounts as at the end of next financial year. This has been viewed seriously by RBI during the course of Biennial Financial Inspection 2022.



- 4. तदनुसार, हम दोहराते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड द्वारा विचलन के रूप में चिह्नित किए गए खातों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करें और यह सत्यापित करें कि बैंक में कहीं और इसी तरह के अन्य खातों का वर्गीकरण उपयुक्त रूप से किया गया है और इसके समक्ष उचित प्रावधान करें.
- 5. इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण में इस तरह के विचलन की पुनरावृत्ति को गंभीरता से देखा जाएगा और अनुशासनहीन बैंकों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है.
- 6. कृपया इस परिपत्र की पावती आपके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.

भवदीय

ह/-

(के एस रघुपति) मुख्य महाप्रबंधक

- 4. Accordingly, we reiterate that RRBs may ensure proper classification of the accounts identified as divergence by NABARD and verify that the classification of similar other accounts elsewhere in the bank are done properly and create appropriate provision thereagainst.
- 5. Further, we advise that the recurrence of such divergence in NPA classification will be viewed seriously and regulatory action may be recommended to RBI against the recalcitrant banks.
- 6. Please acknowledge the receipt of this circular to our Regional Office in your State/ UT.

Yours faithfully

Sd/-

(K.S.Raghupathi)

Chief General Manager